प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में **प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में** 1,79,406.5 टन की **वृद्धि हुई है,** जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। **इस अपशिष्ट का लगभग 14% लैंडफिल में निपटान किया गया था।**

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में **राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला** गया है, जिससे संभवतः अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है।
  - यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिये बाधाएँ उत्पन्न करता है और इसके स्थायी **पर्यावरणीय परिणाम** हो सकते हैं।
  - विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में **प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना** और **पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है।**
- **लैंडफिल में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना** एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि खराब प्रबंधन वाली जगहों के कारण सामान्यतः आग लग सकती है और वहाँ **ज़हरीले पार्टिकुलेट मैटर (PM) व गैसीय उत्सर्जन** हो सकता है।
  - इसलिये, निवारक उपाय के रूप में लैंडफिल में प्लास्टिक के निपटान को कम करने की सलाह दी जाती है।
- **शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग** ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये एक रणनीति तैयार की है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सौंप दिया गया है।
  - सभी नगर निगमों को आवश्यक रूप से **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF)** स्थापित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपने प्लास्टिक अपशिष्ट को संभालने का निर्देश दिया गया है।

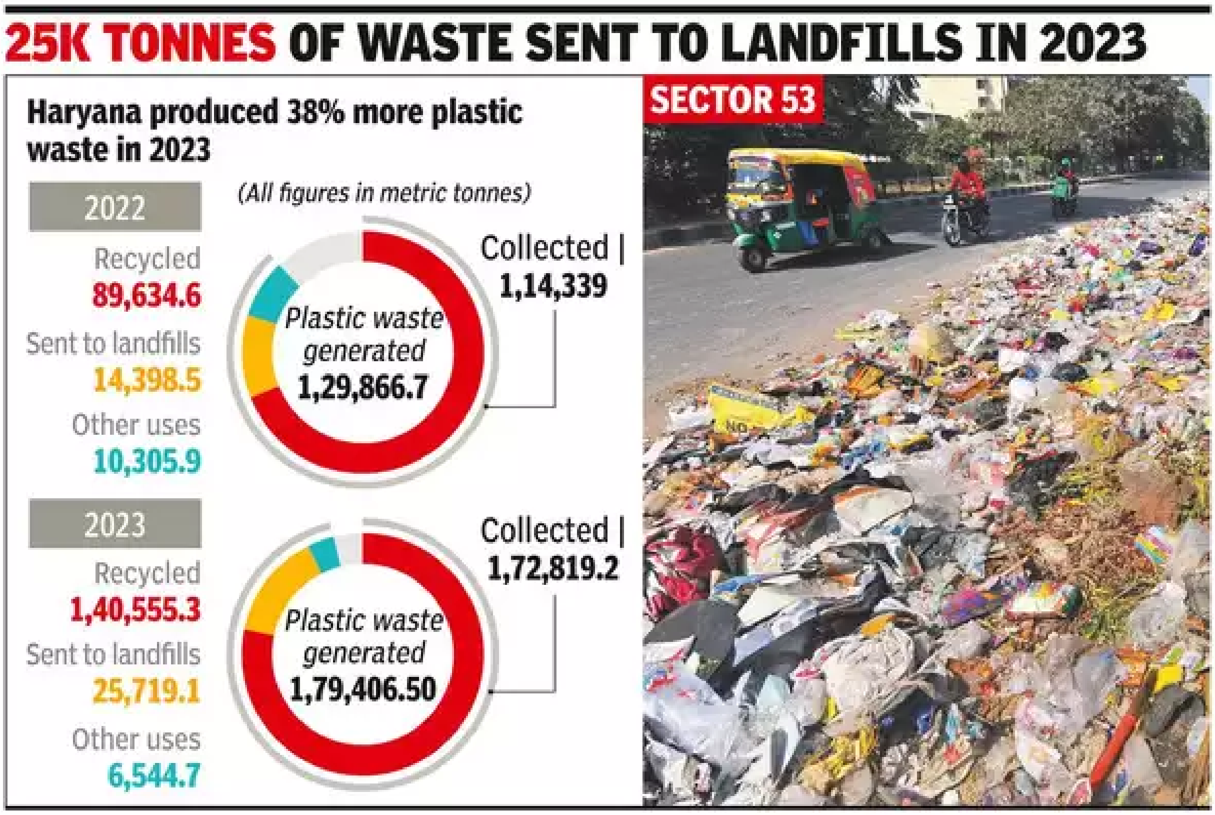

//

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का **गठन एक सांविधिक संगठन** के रूप में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के अंतर्गत **सितंबर 1974** को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के **जल अधिनियम, 1974** के कानून के बाद जल की संपूर्णता को संरक्षित करने और जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक **सांविधिक संगठन** के रूप में इसका गठन किया गया था।

पार्टिकुलेट मैटर (PM)

- पार्टिकुलेट मैटर या PM, हवा में निलंबित बेहद **छोटे कणों और तरल बूंदों** के एक जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। ये कण कई आकारों में आते हैं और सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने हो सकते हैं।
    - **PM 10 (मोटे कण) -** 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
    - **PM 2.5 (सूक्ष्म कण) -** 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।

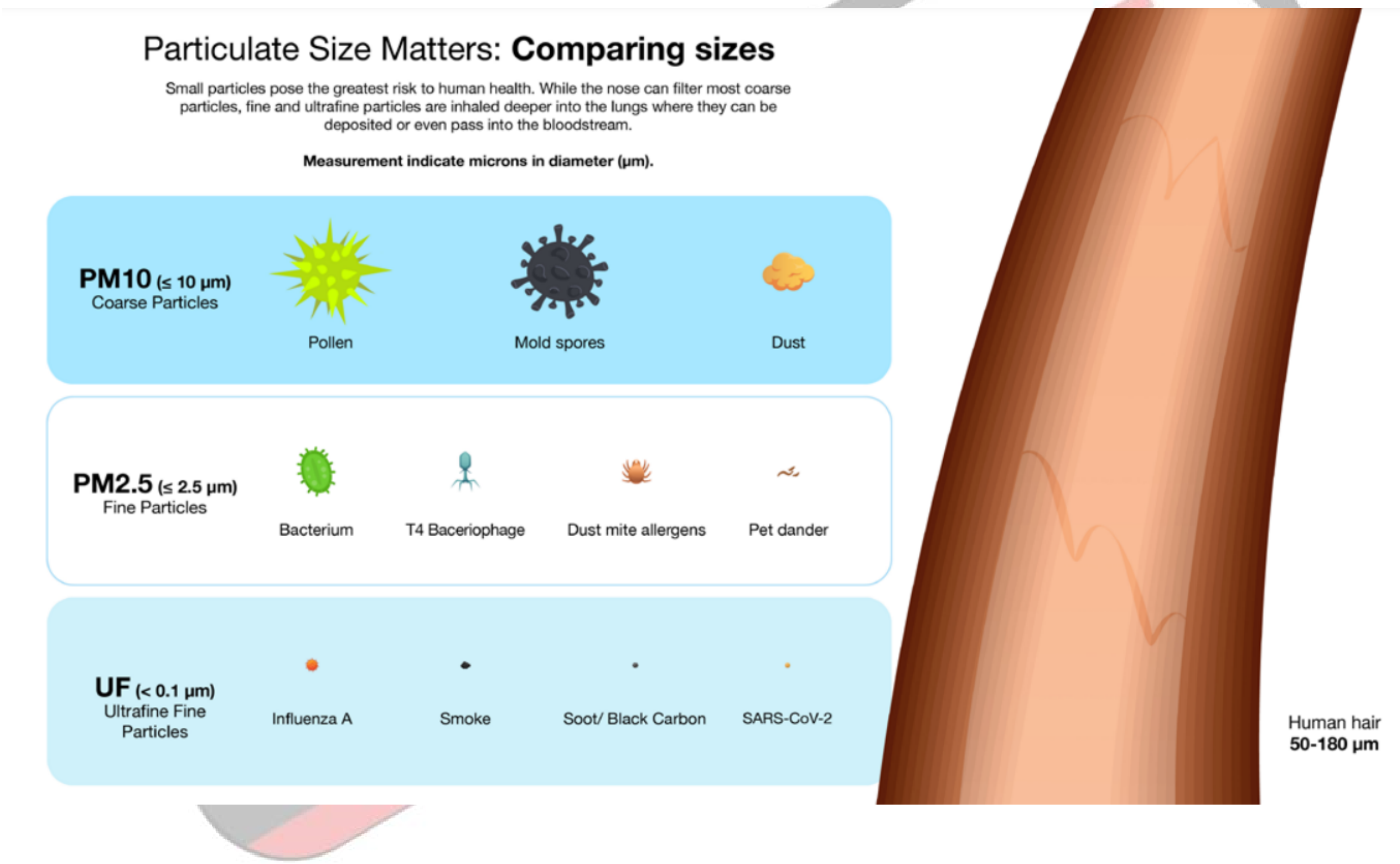

Particulate Size Matters: **Comparing sizes**

Small particles pose the greatest risk to human health. While the nose can filter most coarse particles, fine and ultrafine particles are inhaled deeper into the lungs where they can be deposited or even pass into the bloodstream.

Measurement indicate microns in diameter (µm).

PM10 (≤ 10 µm)
Coarse Particles
Pollen
Mold spores
Dust
PM2.5 (≤ 2.5 µm)
Fine Particles
Bacterium
T4 Baceriophage
Dust mite allergens
Pet dander
UF (< 0.1 µm)
Ultrafine Fine Particles
Influenza A
Smoke
Soot/ Black Carbon
SARS-CoV-2
Human hair
50-180 µm

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rise-in-plastic-waste-generation